न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलासर (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का - बरेव

बहक श्री सुखाराम
पुत्र श्री श्रीरामाराम
जाति बावरिया नि. बरेव

मुकदमा नं. 33 /2018

राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 24/9/18

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत् है कि ग्राम बरेव रकबा 0.05 हैक्टर किस्म गै. ओरण (राजकीय भूमि) पर संवत 2075 में श्री सुखाराम पुत्र श्री श्रीरामाराम जाति बावरिया निवासी बरेव (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा बाड़ा बनाकर कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का खसरा नम्बर 755 अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी को नोटिस परिवार के सदस्य तामिल शुदा प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी की ओर से किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम बरेव ख.न. 755 रकबा 0.05 है. किस्म गै. ओरण पर संवत 2075 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर बाड़ा बनाकर कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिकमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :-

(1) अतिकमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 3 रु. प्रति हैक्टेयर का 50 गुणा रूपया 8/- (रूपये आठ रूपये मात्र) शास्ति कायम की जाती है।

कियान्विती हेतु पटवारी हल्का बरेव एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये। निर्णय की भु. अभिलेख निरीक्षक बाजोट

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/9/18 का सरे इजलास सुनाया।

(हस्ताक्षर)
नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

पंजिका सं. वर्ष 2018-19 के पृष्ठ सं. 61
पर क्रम सं. 08/- .... पर दर्ज की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार

Scanned by CamScanner